राजस्थान सरकार
राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

क्रमांकः राम / प–2 / 1 / 4 / रातस / तह.कार्यव्यवस्थार्थ / 2021–22 / 8891 दिनांकः 10/6/22

–: आदेश :–

संयुक्त शासन सचिव, राजस्व (ग्रुप–1) जयपुर, के पत्र क्रमांक प.2(37)राज–1 / 2018 पार्ट दिनांक 24.11.21 एवं क्रमांक प.2(19)राज–1 / 2017 दिनांक 20.12.21 के क्रम में राजकार्यों के समय पर निष्पादन के दृष्टिगत नायब तहसीलदार को तहसीलदार के रिक्त पदों पर कार्यव्यवस्थार्थ पदस्थापित किये जाने हेतु स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक दिनांक 31.12.2021 को एवं रिव्यू स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक दिनांक 14.02.2022 को आयोजित की गई।

स्क्रीनिंग कमेटी के आयोजन के समय श्री विश्व प्रकाश चारण नायब तहसीलदार की वर्ष 2018–19 के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन में कुप्रविष्टी अंकित होने के कारण इनके कार्यव्यवस्थार्थ तहसीलदार के रिक्त पद पर पदस्थापन हेतु उपयुक्त पाये जाने सम्बंधी आदेश जारी नहीं किये गये।

उप–निबंधक (एसीआर) से प्राप्त सूचना दिनांक 18.4.22 एवं उप–निबंधक (जांच) राजस्व मण्डल से प्राप्त सूचना दिनांक 12.05.2022 के अनुसार श्री विश्व प्रकाश चारण, नायब तहसीलदार के विरूद्ध वर्तमान में कोई जांच विचाराधीन नहीं है। श्री चारण के वर्तमान में कोई जांच विचाराधीन नहीं होने के कारण इनको कार्यव्यवस्थार्थ स्वयं की वेतन श्रृंखला (पातेय वेतन) में तहसीलदार के रिक्त पदों पर कार्यव्यवस्थार्थ पदस्थापित किये जाने हेतु उपयुक्त पाया जाता है :–

S.NO.	ELG. NO.	Employee	DOB
1	452	VISHWA PRAKASH CHARAN	20-08-1992

उक्त कार्यव्यवस्थार्थ पदस्थापन निम्न शर्तो के अध्ययधीन रहेगा :–

1– दिनांक 31.12.21 को आयोजित स्क्रीनिंग समिति द्वारा उक्त नायब तहसीलदार की प्रशासनिक आवश्यकता के आधार पर केवल कार्यव्यवस्थार्थ तहसीलदार के पद पर पदस्थापन हेतु स्क्रीनिंग की गयी है। स्क्रीनिंग समिति की रिपोर्ट केवल और केवल मात्र उक्त नायब तहसीलदार के एक बार (One Time) कार्यव्यवस्थार्थ पदस्थापन हेतु उपयोगी होगी इसका अन्य प्रयोजनों हेतु उपयोग नहीं दिया जायेगा और इसके आधार पर कोई भी नायब तहसीलदार किसी भी भांति के अनुभव, पदोन्नति एवं वित्तीय परिलाभ का न तो हकदार होगा और नहीं किसी हक का दावा / मांग किसी भी न्यायालय / अधिकरण अथवा प्रशासनिक संस्था / विभाग के समक्ष करेगा।

2– उक्त स्क्रीनिंग समिति की रिपोर्ट के आधार पर केवल कार्यव्यवस्थार्थ तहसीलदार के पद पर पदस्थापित नायब तहसीलदार कार्यव्यवस्थार्थ पदस्थापन की कार्यावधि के आधार पर किसी भी प्रकार की पदीय वरिष्ठता के हकदार नहीं होंगे तथा उक्त कार्यावधि के आधार पर प्राप्त किसी अनुभव का पदोन्नति या वरिष्ठता में शुमार नहीं किया जायेगा। ना ही कोई नायब तहसीलदार इस आधार पर वरिष्ठता या पदोन्नति का दावा / मांग करेगा।

3– स्क्रीनिंग समिति की रिपोर्ट केवल और केवल मात्र कार्यव्यवस्थार्थ पदस्थापन है इसे किसी भी रूप में तदर्थ अथवा नियमित पदोन्नति की श्रेणी में नहीं माना जायेगा। न तो कोई नायब तहसीलदार उक्त आधार पर किसी तदर्थ या नियमित पदोन्नति का हकदार होगा और ना ही वह ऐसे किसी हक का दावा या मांग भविष्य मे किसी भी न्यायालय , अधिकरण अथवा प्रशासनिक संस्था / विभाग के समक्ष पेश करेगा।

4– उक्त नायब तहसीलदार मूल रूप से नायब तहसीलदार ही बने रहेगे तथा नायब तहसीलदार को प्राप्त वेतन भत्तों के अतिरिक्त अन्य वित्तीय परिलाभ के न तो हकदार होंगे और न ही किसी हक का दावा या मांग भविष्य मे किसी भी न्यायालय , अधिकरण अथवा प्रशासनिक संस्था / विभाग के समक्ष पेश करेगा।

5– स्क्रीनिंग समिति की उक्त रिपोर्ट / अभिशंषा को प्रशासनिक आधार पर किसी भी समय प्रत्याहरित किया जा सकेगा और नायब तहसीलदार को उनके मूल पद पर पुनः पदस्थापित किया जा सकेगा। कोई भी नायब तहसीलदार इस संदर्भ में लिये गये किसी निर्णय को किसी भी न्यायालय , अधिकरण अथवा प्रशासनिक संस्था / विभाग के समक्ष चुनौती नहीं देगा।

6– स्क्रीनिंग समिति की रिपोर्ट के आधार पर तहसीलदार पद पर कार्यव्यवस्थार्थ पदस्थापन का यह आदेश सभी पात्र नायब तहसीलदार को स्वीकार्य होगा तथा कोई भी पात्र नायब तहसीलदार इस आदेश को किसी भी न्यायालय, अधिकरण अथवा प्रशासनिक विभाग / संस्था के समक्ष चुनौती नहीं देगा।

Scanned with CamScanner

7– उक्त नायब तहसीलदारों को वेतन तहसीलदार के रिक्त पद के विरूद्ध इनके स्वयं की वेतन श्रृंखला (पातेय वेतन) में नियमानुसार इनके एलपीसी के आधार पर आहरित किया जायेगा।

8– उक्त नायब तहसीलदार यदि कार्यव्यवस्थार्थ तहसीलदार के पद पर कार्य नहीं करना चाहते है, तो वे अपना लिखित अभ्यावेदन मय विस्तृत कारण उचित माध्यम सम्बंधित जिला कलक्टर /कार्यालयाध्यक्ष राजस्व मण्डल में भिजवायेंगे एक बार कार्यग्रहण में असमर्थता जाहिर करने पर पुनः कार्यव्यवस्थार्थ पदस्थापन पर विचार नहीं किया जायेगा।

9– स्क्रीनिंग समिति द्वारा राजस्व मण्डल द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के आधार पर स्क्रीनिंग की गयी है। फिर भी यदि किसी नायब तहसीलदार के विरूद्ध स्क्रीनिंग समिति की बैठक दिनांक 31.12.2021 तक कोई विभागीय जांच, आपराधिक प्रकरण अथवा दण्ड होने की जानकारी विभाग के संज्ञान में आती है, जिससे वह पात्रता की श्रेणी से बाहर हो जाता है तो उसे तुरंत प्रभाव से कार्यव्यवस्थार्थ पदस्थापन से हटा कर मूल पद पर पदस्थापित किया जायेगा तथा यदि किसी नायब तहसीलदार के सम्बंध में उपलब्ध अभिलेख के आधार गलत /मिथ्या जानकारी के कारण उसे कार्यव्यवस्थार्थ तहसीलदार पद पर पदस्थापन हेतु विचारित नहीं किया गया हो, तो उसके संदर्भ में विभागीय तथ्यों से वास्तविक वस्तुस्थिति स्पष्ट होने पर सक्षम स्तर से अनुमोदन उपरांत उसकी पात्रता बाबत विचार किया जा सकेगा।

आदेशानुसार,

7/6/22

(महावीर प्रसाद)
निबन्धक,
राजस्व मण्डल राज.,अजमेर

क्रमांकः सम/ 8892-8907

दिनांकः 10/6/22

प्रतिलिपिः निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1– निजी सचिव मा. अध्यक्ष महोदय, राजस्व मण्डल राज.,अजमेर ।
2– निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग जयपुर।
3– विशिष्ठ सहायक, मा. राजस्व मंत्री महोदय राजस्थान सरकार जयपुर।
4– संयुक्त शासन सचिव, राजस्व (ग्रुप–1) विभाग राजस्थान, जयपुर ।
5– संभागीय आयुक्त बीकानेर।
6– जिला कलेक्टर बीकानेर।
7– प्रभारी अधिकारी (गोपनीय/वि.जांच/कंप्यूटर्स)राजस्व मण्डल राज.,अजमेर।
8– . . . .
9– सम्बंधित. . . . .
10– आदेश पंजिका/ निजी पत्रावली ।

(दीप्ति शर्मा)
अतिरिक्त निबन्धक (रातस)
राजस्व मण्डल राज.,अजमेर

Scanned with CamScanner